निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 643) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2026

वित्त विभाग

अधिसूचना
19 जून 2026

सं०सं० 3ए–5–से०नि०–05/2013–5777/वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में निम्नलिखित संशोधन तुरन्त के प्रभाव से करते हैं :–

संशोधन

बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के परिशिष्ट–3 में कार्याध्यक्षों और अध्यक्षालयों की सूची में क्रमांक–34 पर अंकित "महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार" को विलोपित किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सचिव (व्यय)।

Finance Department

NOTIFICATION

The 19th June 2026

No. **3A-5-S.C.-05/2013**-5777/F. —In exercise of powers conferred by the proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Amendment in The Bihar Service Code, 1952 with immediate effect :—

Amendment

"The Office of The Advocate General, Bihar" shall be deleted at S.No.-34 from the list of Heads of Department of the Appendix-3 of the Bihar Service Code.

By Order of the Governor of Bihar,
RACHNA PATIL,
Secretary (Expenditure).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 643-571+10-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in